विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक असमानता को दूर करने की पहलें

प्रिया जौहरी*

भारत सरकार द्वारा देश के समग्र शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है जिसका लक्ष्य सभी को समावेशी एवं समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसी लक्ष्य को विद्यालयी शिक्षा में समग्र शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। चूँकि समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई थी। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता मानती है, जो शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। यह न केवल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को भी लागू करती है। यह सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो और जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं तथा विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा गया है और जो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनाएँ, पर केंद्रित है। समग्र शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के विकास की एक एकीकृत योजना है। इसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी आयामों को शामिल किया गया है। इसका उदेश्य स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार करना है जिससे की देश में साक्षरता का अनुपात बढ़े और देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रस्तुत लेख स्कूली शिक्षा के अंतर्गत मौजूद लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों को समझाने का प्रयास करता है। इस लेख में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयी शिक्षा में लैंगिक असमानता कम करने पर किए जा रहे प्रावधानों और प्रयासों पर चर्चा की गई है। साथ ही समग्र शिक्षा के अंतर्गत की गई पहलों को लागू करने तथा बालिकाओं के स्कूली शिक्षा में ठहराव के लिए सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान का मूल आधार समानता का सिद्धांत हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव न किया जा सके। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है चाहे वह किसी भी लिंग और जाति का हो। फिर भी भारतीय समाज में लंबे समय से जेंडर आधारित भेदभाव ने लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित किया है। स्कूली शिक्षा आरंभ होने से पहले या उसके बाद में बालिकाएँ किसी न किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार होती हैं। भारत में जहाँ जेंडर संबंधी भेदभाव की गहरी पैठ है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और स्कूली शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक

**कनिष्ठ परियोजना अध्येयता*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

कदम उठाए जाएँ। लैंगिक असमानता को कम करने का निरंतर प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न आयोगों ने अपने प्रतिवेदनों में बालिका शिक्षा की बात करते समय इस लैंगिक असमानता को संबोधित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1998), प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) और महिला सशक्तिकरण नीति (2001) शिक्षा और जेंडर आधारित भेदभाव और उसके समाधानों को प्रस्तुत करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश की बात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर कामयाब हो सकें। इसमें समग्र शिक्षा योजना पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है।

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा योजना पूर्व विद्यालय से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसे स्कूली शिक्षा में प्रभावशाली सुधार करने के लक्ष्य से व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस योजना का मूल लक्ष्य शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य के अनुसार हर बच्चे को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा उपलब्ध करना है। समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप मे परिकल्पित करती है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और सुरक्षित अवसंरचना में विकासात्मक पाठ्यक्रम, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा नवीन अधिगम गतिविधियों के साथ सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक भागीदारी पर बल देती है। पूर्व विद्यालायी शिक्षा को मज़बूत करने के लिए इस योजना में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओ में क्षमता निर्माण के प्रावधान को शमिल किया गया है। इसके साथ ही इसके उत्थान के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के साथ समन्वय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य परिणामों के रूप में ये आशा की गई है कि स्कूली शिक्षा के स्तर पर सार्वभौमिक पहुँच, समानता और गुणवत्ता के साथ सभी विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा प्राप्त हो सके। समग्र शिक्षा को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। समग्र शिक्षा की शुरुआत कुछ मुख्य उद्देश्य से की गई है—

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफ़ारिशों को लागू करने हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सहयोग करना;
- शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर ध्यान देना;
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में सुधार करना;
- विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक तथा लैंगिक असमानता को कम करना;
- विद्यालयी प्रावधान में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना;
- पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग के रूप में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना;
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना;

- कौशल विकास पर ज़ोर देना;
- मौजूदा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण करना;
- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों, समवर्ती और नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों को वरीयता देना।

बालिका शिक्षा की वर्तमान स्थिति

वर्ष 2021–22 में स्कूली शिक्षा में पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक कुल नामांकन 25.56 करोड़ से थोड़ा अधिक था। लड़कों का नामांकन 13.28 करोड़ और लड़कियों का 12.28 करोड़ था। वर्ष 2020–21 की तुलना में 19 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। यू.डी.आई.एस.ई. (UDISE+) सिस्टम में सभी स्कूलों का कुल नामांकन पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक, 2021–22 में 26.52 करोड़ है। आँकड़े दर्शाते हैं कि लड़कियों का नामांकन लड़कों की तुलना में कम है। पूर्व-प्राथमिक स्तर में लड़कियों का नामाकंन 0.4 करोड़ है जबकि प्राथमिक स्तर पर यह संख्या 5.8 करोड़ है। उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक क्रमशः 3.2, 1.8, 1.4 करोड़ है, जिसे आरेख 1 में दर्शाया गया है।

आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन सबसे अधिक है जोकि बढ़े हुए शैक्षिक स्तर से कम होता जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अब नामांकन समस्या नहीं है, बल्कि बालिकाओं का स्कूली शिक्षा में रूकाव या ठहराव करना ज़्यादा बड़ी चुनौती है।

समग्र शिक्षा और लैंगिक समानता

सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को समाप्त करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। समग्र शिक्षा का लक्ष्य, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को सुविधाजनक बनाना है ताकि समावेशी और सस्ती स्कूली शिक्षा हर बच्चे को मिल सके। समग्र शिक्षा इस बात पर ज़ोर देती है कि प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं की पहचान की जाए चाहे वह किसी भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों। समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तरह विशेष शिक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। नतीजतन, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के साथ-साथ लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों तक पहुँचने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही योजना शहरी वंचित बच्चों,

आरेख 1— लड़कियों का नामांकन

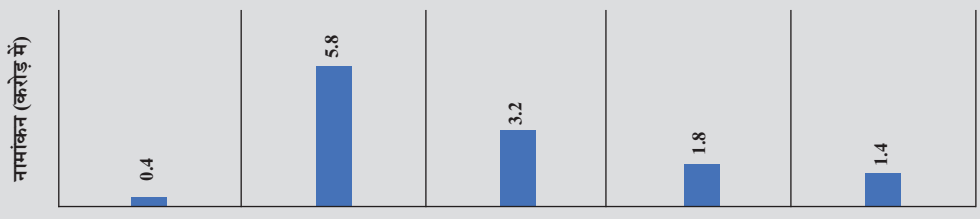

आवधिक प्रवास से प्रभावित बच्चों पर ध्यान देती है जो दूर-दराज़ और बिखरी हुई बस्तियों में रहते हैं। सार्वभौमिक पहुँच और समानता के लिए समग्र शिक्षा में लैंगिक असमानता के मुद्दे को शामिल किया गया है। यह स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है।

स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता लाने हेतु समग्र शिक्षा के प्रावधान

- समग्र शिक्षा में लैंगिक समानता लाने के लिए मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—
- समान पहुँच के साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करना;
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को (ग्रेड 12 तक) सुदृढ़ और विस्तारित करना;
- शिक्षा में विशेष शैक्षिक क्षेत्रों (Special Educational Zones) से संबंधित लड़कियों की भागीदारी में वृद्धि करना;
- स्पष्टीकरण और विषयों की बेहतर समझ के लिए सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण में विभिन्न चरण में जेंडर-समावेशी शैक्षणिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना;
- अभियान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित जैसे विषयों पर अधिक ज़ोर देना;
- सीखने के माहौल के सभी पहलुओं में लड़कियों की समान भागीदारी को बढ़ावा देना;
- बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव और हिंसा का उन्मूलन;
- खेल के माध्यम से मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना;
- लड़कियों में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस पैदा करने के लिए लड़कियों का कानूनी सशक्तिकरण;
- बालिकाओं को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी देना;
- वित्तीय मामलों और उनके प्रबंधन के ज्ञान में वृद्धि करना। लड़कियों को दिन-प्रतिदिन के वित्तीय और बैंक संचालन के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, जैसे— व्यक्तिगत वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलना, एटीएम का उपयोग, ई-बैंकिंग आदि;
- बालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना;
- सरकारी विद्यालयों मे खेल शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना और खेल अनुदान प्रदान करना;
- बालिकाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना;
- सभी एस.ई.डी.जी. विशेष शैक्षिक क्षेत्रों (Special Educational Zones) बच्चों के लिए समान सीखने के प्रतिफल सुनिश्चित करना;
- शिक्षा प्रणाली में विशेष शैक्षिक क्षेत्रों के बालक-बालिकाओं को रोक कर रखना ताकि वे सभी अपनी शिक्षा पूरी कर सकें;
- सभी वंचित और हाशिए पर रहने वाली बालिकाओं के लिए न्यायसंगत और समावेशी सीखने का माहौल तैयार करना;
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाना;
- बालिकाओं का सशक्तिकरण करना;
- बालिकाओं की सुविधा के लिए उनके निकट क्षेत्र में स्कूल खोलना तथा;
- कक्षा 6–8 तक की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना;

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नए प्रावधान (समग्र शिक्षा में)

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और शिक्षा से वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले वंचित समूहों की लड़कियों को छठी से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करना है। समग्र शिक्षा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता है। समग्र शिक्षा के तहत चार प्रकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की पहचान की गई है, जिसके लिए वित्त पोषण किया जाएगा जो इस प्रकार हैं—

टाइप I — कक्षा 6 से 8 के लिए के.जी.बी.वी.
टाइप II — कक्षा 6 से 10 के लिए के.जी.बी.वी.
टाइप III — कक्षा 6 से 12 के लिए के.जी.बी.वी.
टाइप IV — कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए छात्रावास।

समग्र शिक्षा, लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए नए प्रावधानों की अनुशंसा करती है—

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6–8 से कक्षा 6–12 तक उन्नयन करना। के.जी.बी.वी. के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 2020–2021 के अंत तक कुल के.जी.बी.वी. को कक्षा 12 तक अपग्रेड किया जा चुका है। 2021 तक समग्र शिक्षा के तहत राज्यों में 5726 कुल के.जी.बी.वी. मंजूर किए गए हैं, इनमें से 4886 के.जी.बी.वी. संचालित किए जा रहे हैं।
- प्राथमिक कक्षा से बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई सुचारू से सुनिश्चित करना;
- विद्यालय को उन्नत आवासीय सुविधाओं से युक्त करना;
- स्कूलों में लड़कियों की व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने के लिए, इस योजना में कृषि, परिधान, होम मेड फर्निशिंग ऑटोमोटिव, बीएफएसआई, ब्यूटी एंड वेलनेस, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हेल्थकेयर, आईटीईएस, मीडिया और मनोरंजन, मल्टी स्किलिंग, शारीरिक शिक्षा और खेल, प्लंबर, दूरसंचार, पर्यटन और परिवहन लॉजिस्टिक और भंडारण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों का विकल्प प्रदान किया जाए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों को राष्ट्रीय कौशल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- लड़कियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने और उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नए प्रावधान के तहत, लड़कियों के बीच आत्म-सुरक्षा और आत्म-विकास के लिए जीवन कौशल सहित आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए तीन महीने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

विद्यालय, राज्य महिला और बाल मंत्रालय के तहत निर्भया फंड के तहत आत्म-रक्षा प्रशिक्षण के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।

- योजना में 6–12 तक की कक्षाओं की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय खोलने की बात की गई है। ऐसे आवासीय विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक मे खोले जाएँगे जहाँ पहले से कोई आवासीय विद्यालय नहीं हैं। ये सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय उन्हीं ब्लॉक में ही खोले जाएँ जहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कोई अन्य योजना या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत कोई विद्यालय पहले से संचालित न हो। यह कार्य राज्य के जिला स्तरीय प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएँ।
- हैकाथॉन एक पहल है जो विद्यार्थियों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। के.जी.बी.वी. के छात्रों को आयोजित हैकाथॉन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएँ। इस संबंध में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि के.जी.बी.वी. की छात्रों की उम्र, सामग्री, पर्यावरण और उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण प्रदान किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 6.9 में कहा गया है कि सभी बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त बोर्डिंग सुविधाओं के साथ मुफ़्त बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार के.जी.बी.वी. में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा ऑडिट किया जाए और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। इसके साथ ही आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा। कार्रवाई रिपोर्ट और सुधारात्मक उपायों को सक्षम अधिकारियों के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

समानता के लिए कुछ विशेष पहल

समग्र शिक्षा, राज्यों को कुछ आवश्यक मुद्दों पर योजनाएँ बनाने के लिए अभिप्रेरित करता है। इन राज्य विशेष योजनाओं से नामांकन में वृद्धि, सभी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) बच्चों के लिए समान शिक्षा और अभिधारण संभव हो सकता है। इस सूची में कुछ प्रस्तावित कुछ विषय इस प्रकार हैं—

- विशेष नामांकन और प्रतिधारण ड्राइव
- मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम
- सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन
- मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और प्रबंधन
- बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण, जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम
- किशोरों के मुद्दे, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता
- बच्चों के लिए समग्र विकास मंच

बालिका शिक्षा की समस्याएँ एवं उनके ठहराव के लिए सुझाव

रूढ़िवादी व परंपरावादी सोच बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमारे समाज में आज भी

स्त्री-पुरुष को एक नज़र से नहीं देखा जाता है। स्त्री को आज भी दोयम दर्जे का समझा जाता है। अक्सर परिवार, विद्यालय आदि स्थानों पर बालिकाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें समुचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। बढ़ती उम्र के साथ उनकी कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं जिनके पूरे न होने पर या उनकी समस्याओं के समाधान न होने पर वे स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। बालिकाओं के ड्रॉप-आउट की समस्या सबसे गंभीर है। अक्सर देखा जाता है कि कक्षा 5 के बाद बालिकाएँ स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि बच्चियाँ बड़ी होने लगती हैं और सुरक्षा, शौचालय आदि मुद्दों की परेशानी के कारण वे स्कूल नहीं जा पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को उनकी तरुणाई की अवस्था से ही घर के कामों में ज़्यादा रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा उपेक्षित होती है। भारत में बालिकाओं की सुरक्षा की स्थिति ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी नहीं है। इसलिए दूर-दराज़ के इलाकों के स्कूलों में बालिकाओं को भेजने से उनके माता-पिता कतराते हैं। यदि स्कूल घर से दूर है तो उन्हें स्कूल छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है।

किसी भी योजना का उद्देश्य सिर्फ़ बालिकाओं का नामांकन नहीं है, बल्कि उनका स्कूल में ठहराव कराना है ताकि हर लड़की अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन कारणों की खोज की जाए जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आखिर बालिकाएँ स्कूल में क्यों नहीं रुकना चाहती हैं या क्यों नहीं रुक पाती हैं? हम सभी को ऐसे प्रश्नों के जवाब खोजने होंगे। बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित हैं—

- स्कूल में शौचालय का निर्माण किया जाए तथा उसके रखरखाव में भी खास ध्यान रखा जाए;
- विद्यालय का भवन सुरक्षित हो। खेल का मैदान, विद्यालय के आस-पास का वातावरण, बच्चों के सहज एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यह देखा जाए कि बड़ी बालिकाओं को विद्यालय आने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े;
- स्कूल में पानी साफ़ हो, शौचालय प्रयोग योग्य हो, बच्चों को किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए। विद्यालय को सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी हो। विद्यालय के अंदर अथवा विद्यालय के आस-पास असामाजिक गतिविधि न हो;
- शिक्षक को बालिकाओं की ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक समाज के साथ खुद को जोड़कर चलें। स्कूल में एक ऐसा वातावरण तैयार करें, जिससे बालिकाएँ स्कूल को अपना घर समझें और सुरक्षा का अनुभव कर सकें;
- स्कूल की महिला शिक्षिका को बालिकाओं के साथ समय बिताना चाहिए ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सकें;
- शिक्षक बालिकाओं के माता-पिता या अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएँ;
- जो बलिकाएँ किसी कारणवश नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकती हैं उन्हें दूरस्थ शिक्षा के बारे पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए।

दूरस्थ विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए;

- शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा-शिक्षण के दौरान रुचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जाए;
- खेलकूद प्रतियोगिताएँ, अभिभावक कैंप, बच्चों के लिए भ्रमण कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ;
- अच्छे शिक्षकों को उन क्षेत्रों में नियुक्त किया जाए जहाँ ड्रॉप-आउट सबसे ज़्यादा है;
- बच्चों द्वारा एक्सपोजर विजिट के दौरान पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध किए जाएँ। साथ ही एक महिला अध्यापिका अनिवार्य रूप से बच्चों के साथ रहे;
- यह देखा गया है कि प्रायः बड़ी बालिकाएँ विद्यालय आने में असहज महसूस करती हैं। विद्यालय यह देखे कि बालिकाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ आदि की घटना न हो। विद्यालय बच्चों को इस संबंध में जागरूक करें तथा इस प्रकार की हिंसा की शिकार होने पर अपनी बात रखने पर प्रोत्साहित करें;
- विद्यालय प्रबंध समिति को बालिकाओं की सुरक्षा के हर संभव प्रयास करने चाहिए। सभी छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए; तथा
- विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य नियमित रूप से विद्यालय का भ्रमण करें तथा इस बात की निगरानी करें कि विद्यालय उनके बच्चों विशेष कर बालिकाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

विद्यालयी स्तर पर समग्र शिक्षा की पहलों को लागू करने के लिए कुछ सुझाव

- कई बार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संपन्न घरों के लोग भी नामांकन करने लगते हैं। विद्यालय के वॉर्डन सरकार के निर्देश पर ही कार्य करें;
- समय पर बच्चों को यूनिफ़ॉर्म और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँ;
- विद्यालयी प्रशासन योजना के तहत मिलने वाले धन का पूरा सदुपयोग करें;
- शिक्षक और विद्यालयी प्रशासन मिलाकर समावेशी वातावरण तैयार करें;
- विद्यार्थियों को उचित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठयक्रम मे व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जाए;
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन दृष्टि तैयार की है, विद्यालयी प्रशासन इन्हें सख्ती से लागू करें;
- विद्यालयी प्राचार्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का सीखने के लिए उपयुक्त और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं;
- बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए कार्यशाला का आयोजन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए;
- जनपद, ब्लॉक क्लस्टर एवं विद्यालय स्तर पर होने वाली समस्त बैठकों एवं कार्यशालाओं में जेंडर भेद को समाप्त करने संबंधी बिंदुओं को

चर्चा करने लिए के एजेंडा में जोड़ा जाए। बैठक में बालिका शिक्षा की बाधाओं को चिह्नित कर उन बाधाओं को दूर करने के उपाय किए जाएँ;

- जनपद के अति पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, अपवंचित समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ;
- ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए जहाँ पर विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन अथवा ठहराव कम है वहाँ, ठोस रणनीति बनाकर लगातार प्रयास करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए;
- समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता बालिकाओं को समय से प्रदान की जाए तथा
- समग्र शिक्षा के सभी पहलों को लागू करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सभी संस्थाएँ, विद्यालय, शिक्षक, प्राचार्य अपना काम पूरी ईमानदारी से करें।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी का कथन है, "एक व्यक्ति को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।" यह कथन स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करता है। महिला सशक्तिकरण लक्ष्य को सही मायने में हासिल करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। शिक्षा महिलाओं के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अवसर प्रदान करती है, इसलिए लड़कियों को बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत या दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए, कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ हैं। आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आज भी कई लड़कियों के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौती है। सरकार समावेशी शिक्षा के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम प्रदान कर रही है। समग्र शिक्षा भी उनमें से एक है। समग्र शिक्षा, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस अभियान के घोषित लक्ष्यों में सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता युक्त प्रांरभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। सामाजिक विषमता तथा भेद को दूर करना है। समान शिक्षा पाना हर बालिका का अधिकार है। न्यायसंगत और समावेशी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा में एक नए विन को प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही हमारे भावी स्कूली शिक्षा का आधार हैं। समावेशी शैक्षिक विकास के लिए जेंडर श्रेणी के अंतर को कम करना अत्यंत ज़रूरी है। इस अंतर को पाटने के महत्वपूर्ण कार्य को समाज, राज्य, विद्यालय, और शिक्षकों को मिलकर करना होगा। समग्र शिक्षा में किए गए प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता की जड़ को समाप्त किया जा सके।

सदंर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.

यूडाइस (UDISE+) की वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) https://udiseplus.gov.in/#/home पर देखा गया.

शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हिंदी (2020–21) https://www.education.gov.in/en/documents_reports पर देखा गया.

'समग्र शिक्षा अभियान' पोर्टल https://www.enterhindi.com/samagra-shiksha-abhiyan-portalmhrd/ पर देखा गया.